राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 753/2025

सुशीला

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (अराजपत्रित), स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
3. बिंदू, महिला स्वास्थ्य कर्मचारी/एएनएम उप केंद्र पीपल का बास, पीएचसी सोनसार, मलसीसर, झुंझुनू, चिकित्सा अधिकारी इन चार्ज जरिये।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 10.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्योर लाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की योग्यता प्राप्त करने के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/एएनएम के पद पर नियुक्त हुई और दिनांक 01.07.1991 को उप केंद्र बीदासर, ब्लॉक–मलसीसर जिला झुंझुनू में अपना कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी ने वहां 22.02.2021 तक काम किया। उसके बाद अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर पीएचसी लादूसर, ब्लॉक मलसीसर, जिला झुंझुनू में तैनात किया गया, जहां अपीलार्थी ने 21.07.2022 तक काम किया। अपीलार्थी को आगे उप केंद्र पीपल–का–बास, पीएचसी सोनासर, ब्लॉक मलसीसर, जिला झुंझुनू में स्थानांतरित कर दिया गया और उसने 22.07.2022 को उप केंद्र पीपल–का–बास में अपना कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति 30.09.2026 को होनी है क्योंकि उसकी जन्म तिथि 02.09.1966 है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा उप–केंद्र, पीपल–का–बास पीएचसी सोनार, जिला झुंझुनू से उप–केंद्र, सिन्नाली चोसिरा, बालोतरा, जिला बाड़मेर में स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की आयु 58 वर्ष और लगभग 5 महीने है और वह वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों जैसे दोनों

घुटनों में गठिया, उच्च रक्तचाप और थायरोडिसिम से पीड़ित है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति 30.09.2026 को होनी है, जो लगभग 20 महीने बाद है। अपीलार्थी को उसकी सेवा के अंतिम चरण में वर्तमान पदस्थापना स्थान और गृह जिले से लगभग 516 किलोमीटर दूर जिला बाड़मेर में स्थानांतरित करने से बहुत कठिनाई और प्रशासनिक असुविधा होगी। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 3 का उप केंद्र पीपल–का–बास, पीएचसी सोनार, ब्लॉक मलसीसर जिला झुंझुनू से उप केंद्र सिन्नाली चोसिरा, बालोतरा, जिला बाड़मेर और इसके विपरीत दिनांक 15.01.2025 के आदेश द्वारा स्थानांतरण, राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की सहमति और सहमति के बिना है, जैसा कि राजस्थान पंचायती राज (स्थानांतरण गतिविधियां) नियम 2011 के नियम 8 में प्रावधान किया गया है। अपीलार्थी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का कर्मचारी है। माननीय उच्च न्यायालय तथा इस न्यायाधिकरण द्वारा विभिन्न अवसरों पर इस मुद्दे पर निर्णय लिया जा चुका है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने दिनांक 11.06.18 की अधिसूचना के माध्यम से पुनः 2011 के नियमों के अनुपालन पर बल दिया है। अपीलार्थी अपने कैडर का कम वेतन पाने वाला कर्मचारी है और उसकी सेवा सिर्फ 20 महीने की है। अपीलार्थी एक महिला है जो उम्र से संबंधित चिकित्सा विकलांगता से पीड़ित है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी देखभाल की जानी चाहिए।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओ को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में एएनएम के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा उप–केंद्र, पीपल–का–बास पीएचसी सोनार, जिला झुंझुनू से उप–केंद्र, सिन्नाली चोसिरा, बालोतरा, जिला बाड़मेर में स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों से पीड़ित है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति 30.09.2026 को होनी है, जो लगभग 20 महीने बाद है। अपीलार्थी को उसकी सेवा के अंतिम चरण में वर्तमान पदस्थापना स्थान और गृह जिले से लगभग 516 किलोमीटर दूर जिला बाड़मेर में स्थानांतरित किया गया है, जिससे अपीलार्थी बहुत कठिनाई और पारिवारिक असुविधा होगी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समायोजित करने के लिए किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है। अतः आलौच्य आदेश निरस्त कर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान उप–केंद्र, पीपल–का–बास पीएचसी सोनार, जिला झुंझुनू में एएनएम के पद पर ही पदस्थापित रखे जाने का निवेदन जारी किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति में एक साल 8 माह का समय शेष है।

आलौच्य आदेश में हम नियमों का उल्लघंन या कोई दुर्भावना नहीं पाते है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)